



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
**National Commission for Scheduled Tribes**  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/ATY-875/MP/11/2023-APCR

दिनांक: 10.04.2023

श्री मुकेश,  
पुत्र पुनिया हेलोत,  
ग्राम - सजेली मालजी साथ,  
तहसील - मेघनगर,  
जिला - झाबुआ,  
मध्य प्रदेश - 457777


**विषय:** पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता को पूछताछ हेतु पकड़कर झूठा प्रकरण बनाने के सम्बन्ध में - श्री मुकेश पुत्र पुनिया हेलोत, ग्राम - सजेली मालजी साथ, तहसील - मेघनगर, जिला - झाबुआ, मध्य प्रदेश का अभ्यावेदन

**महोदय/महोदया,**

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामलें में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 10.04.2023 को 03:00 बजे होने वाली सिटिंग/सुनवाई को **पुनर्निर्धारित कर दिनांक 26.04.2023 को 10:30 बजे कर दिया है।** इस संबंध में सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी